



2026:AHC-LKO:21324

उच्च न्यायालय, न्यायिक खंडपीठ इलाहाबाद, लखनऊ

आपराधिक अपील संख्या - 382 वर्ष 2026

दिलीप गुप्ता

.....

अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव (गृह विभाग), लखनऊ के माध्यम से एवं अन्य

.....

प्रतिवादीगण

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता	:	हिमांशु सूर्यवंशी
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता, अशोक शुक्ला

न्यायालय संख्या - 12माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

1. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या-1 राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या-2 (शिकायतकर्ता) की ओर से श्री अशोक शुक्ला, विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
2. दिनांक 19 मार्च 2026 को स्थगन आदेश पारित होने के बावजूद, आज तक शिकायतकर्ता द्वारा कोई आपति दाखिल नहीं की गई है, जबकि राज्य की ओर से प्रति-शपथपत्र पूर्व में ही दाखिल किया जा चुका है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-A(2) के अंतर्गत, दिनांक 27 जनवरी 2026 को पारित आदेश, जो कि विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. अधिनियम, सीतापुर द्वारा वाद अपराध संख्या 05/2026 में पारित किया गया, को निरस्त किए जाने हेतु दाखिल की गई है। उक्त वाद में धारा 109 (307 भा.दं.सं.), 118(2) (326 भा.दं.सं.), 115(2) (323 भा.दं.सं.), 352 (504 भा.दं.सं.), 351(3) (506 भा.दं.सं.), 190 (149 भा.दं.सं.), 191(2) (147 भा.दं.सं.), 191(3) (148 भा.दं.सं.), 3(5) (34 भा.दं.सं.) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत अभियोजन चल रहा है, जो थाना नैमिषारण्य, जनपद सीतापुर से संबंधित है। साथ ही, अपीलकर्ता को उक्त अपराध में जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन भी किया गया है।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) के कथनों के अनुसार, घटना दिनांक 4 जनवरी 2026 को प्रातः लगभग 11 बजे घटित होना बताई गई है, जब अपीलकर्ता सहित 29 अन्य व्यक्तियों द्वारा कृषि भूमि के विवाद के संबंध में शिकायतकर्ता एवं उसके परिवारजनों के साथ विवाद/झगड़ा किया गया। यह आरोप लगाया गया है कि उपर्युक्त व्यक्तियों ने उक्त भूखंड पर कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न की तथा शिकायतकर्ता एवं उसके परिवारजनों को जाति-आधारित अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकाया एवं भयभीत करने का प्रयास किया। यह भी आरोप है कि अपीलकर्ता एवं अन्य के उकसावे पर एक राजेश गुप्ता द्वारा इन्द्रपाल एवं शैलेन्द्र पर गोली चलाई गई, जिसके परिणामस्वरूप उक्त व्यक्तियों को गंभीर चोटें आईं।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि उकसावे की भूमिका के अतिरिक्त, अपीलकर्ता के विरुद्ध यह कोई आरोप नहीं है कि उसने शिकायतकर्ता अथवा उसके परिवारजनों के विरुद्ध किसी प्रकार का जाति-आधारित अपमान किया हो। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि गोली चलाने की भूमिका राजेश गुप्ता को सौंपित की गई है। उन्होंने आगे यह भी इंगित किया कि घायल शैलेन्द्र के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 180 के अंतर्गत दिए गए कथन में भी अपीलकर्ता द्वारा किसी जाति-आधारित अपमान करने अथवा दो व्यक्तियों को चोट पहुँचाने में उसकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है। यह भी निवेदन किया गया है कि अपीलकर्ता के पूर्व आपराधिक इतिहास का उल्लेख शपथपत्र के पैरा 25 में किया जा चुका है, जिसके अनुसार अपराध संख्या 14 वर्ष 2016 तथा 75 वर्ष 2016 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है तथा अपराध संख्या 20 वर्ष 2016 के वादी द्वारा अपनी शिकायत वापस ले ली गई थी।

6. प्रतिपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का यह कहते हुए विरोध किया गया है कि जैसा कि प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करते समय विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया गया है, अपीलकर्ता पूर्व में भी समान प्रकृति के मामलों में संलिप्त रहा है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता की भूमिका, घायल व्यक्तियों पर गोली चलाने हेतु उक्त राजेश गुप्ता को उकसाने के रूप में, एफ.आई.आर. में स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है। तथापि, यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध पूर्व के तीन आपराधिक मामलों का स्पष्टीकरण पहले ही दिया जा चुका है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरांत, इस स्तर पर प्रकरण के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना तथा विचारण के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के अधीन, यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को आरोपित की गई एकमात्र भूमिका उकसावे की है। अपीलकर्ता के विरुद्ध किसी जाति-आधारित अपमान करने अथवा उपर्युक्त दो व्यक्तियों को चोट पहुँचाने में उसकी कोई विशिष्ट भूमिका अभिलिखित प्रतीत नहीं होती है। उपर्युक्तानुसार उल्लिखित पूर्व आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण पूर्व में ही दिया जा चुका है। अपीलकर्ता दिनांक 4 जनवरी, 2026 से निरुद्ध (कारावास में) है।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विवादित (आक्षेपित) आदेश, अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किए गए निवेदनों पर समुचित विचार किए बिना पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, अपील स्वीकृत की जाती है तथा दिनांक 27 जनवरी, 2026 का आदेश निरस्त किया जाता है।

9. उक्त वाद अपराध में संलिप्त अपीलकर्ता/आवेदक दिलीप गुप्ता को, न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, न्यायहित में निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) अपीलकर्ता/आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) अपीलकर्ता/आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर कोई दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत या प्रभावित नहीं करेगा।

(iii) अपीलकर्ता/आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, को किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी अथवा वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो।

(iv) अपीलकर्ता/आवेदक इस आशय का एक उपक्रम दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करे।

(v) अपीलकर्ता/आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

धारा 229-ए (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 269) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(vi) यदि अपीलकर्ता/आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और वह उक्त उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 209) के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

10. यदि कोई प्रार्थना-पत्र लंबित है, तो वह भी निस्तारित माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

दिनांक : 25 मार्च, 2026

प्रभात/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।